

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई।

आम नोटिस

दिनांक : 09.09.2022


विषय : लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के क्रियान्वयन पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक : 3153/ एसएलएसए -99/ 2019(ऋ/हैदर) दिनांकित 25.08.2022 के अनुपालन में माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय हरदोई में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम हेतु कार्यालय स्थापित किया जाना है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु चीफ, डिप्टी तथा असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल की नियुक्ति निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त की जानी है।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के प्रकीर्ण आदेश संख्या 516 दिनांकित 30.08.2022 के माध्यम से जनपद न्यायालय हरदोई में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में निम्नलिखित पदों पर रखे जाने हेतु निर्धारित योग्यता प्राप्त भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2022 तक आमंत्रित किये गये थे।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवेदन पत्रों को आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05.09.2022 से बढ़ा कर दिनांक 09.09.2022 की गयी थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद हरदोई में सभी पदों के सापेक्ष सीमित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पुनः उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र आहूत करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.09.2022 नियत की गयी है।

जिसके क्रम में आवेदन पत्रों को आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09.09.2022 से बढ़ा कर दिनांक 15.09.2022 की जाती है। अतः उक्त तिथि अन्तिम होगी।


जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद हरदोई।

प्रतिलिपि : 1. विशेष कार्याधिकारी, (कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेब साइट पर प्रदर्शित कराये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

2. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग), हरदोई को जनपद न्यायालय हरदोई की वेब साइट पर प्रदर्शित कराये जाने हेतु प्रेषित।

3. जिलाधिकारी, हरदोई को सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

4. प्रधानाचार्य, समस्त विधि महाविद्यालय, जनपद हरदोई को अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, हरदोई को सूचनार्थ एवं अधिवक्ता संघ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।


6. प्रबन्धक, परिवहन निगम, जनपद हरदोई को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

7. प्रभारी अधिकारी, जी0आर0पी0एफ0 थाना, रेलवेगंज, हरदोई को रेलवे स्टेशन हरदोई के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

8. जिला सूचना अधिकारी, हरदोई को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

9. जिला संवाददाता, दैनिक जागरण, हरदोई को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

10. जिला संवाददाता, अमर उजाला, हरदोई को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।


जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद हरदोई।